राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी:– श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 87 / 2025 रे०वाद

अनवान

वान सिंह पिता राम सिंह उम्र वयस्क जाति रावत पेसा मजदूरी खेती, निवासी टोगी तहसील भीम ला राजसमंद।

.... वादी

बनाम

अर्जुन सिंह पिता गोकल सिंह।
प्रेम सिंह उर्फ किशन सिंह पिता गोकल सिंह।
समस्त उम्र वयस्क जाति रावत निवासीयान् टोगी तहसील भीम जिला राजसमंद।
. तहसीलदार, तहसील भीम, जिला राजसमंद

.... प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–

01. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री हरिश चन्द्र तिवारी
02. अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांकः– 16/4/2026

वाद पत्र

प्रकरण वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा टोगी तहसील भीम जिला राजसमंद में निम्न विवरण की आराजियात स्थित होकर वादी एवं प्रतिवादीगण की मौरूषी आराजियात होकर अन्य सहखातेदार की आराजियात होकर मौके पर सभी अपने–अपने हिस्से पर काबिज हो काश्त करते कराते आ रहे है। विवरण आराजियात निम्न प्रकार है –

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
165	0.0243	बारानी 1
166	0.0567	बारानी 1
167	0.0445	बारानी 1
318	0.0688	चाही 1
कुल खसरे 4	क्षेत्रफल 0.1943 है0	

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
211	0.0506	बारानी
कुल खसरे 1	क्षेत्रफल 0.0506 है0	

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
573	0.0526	पेटा
कुल खसरे 1	क्षेत्रफल 0.0526 है0	

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
208	0.0728	बारानी
212	0.0283	बंझड़
306	0.2428	बंझड़
610	0.1376	बंझड़
कुल खसरे 4	क्षेत्रफल 0.0526 है0	

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
207	0.0364	बंझड़
277	0.0364	बंझड़
कुल खसरे 2	क्षेत्रफल 0.0728 है0	

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
269	0.2104	चाही 1 जाव 1
कुल खसरे 1	क्षेत्रफल 0.2104 है0	

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
338	0.0400	गै0मु0पाल
339	0.0200	गै0मु0चाह
345	0.0600	बारानी 2
347	1.0000	बंझड़
कुल खसरे 4	क्षेत्रफल 1.1200 है0	

वादी के मोरूष मोटसिंह पिता डूंगर सिंह का सजरा निम्नानुसार है।

मोट सिंह पिता डूंगर सिंह

↓

सार्दुल सिंह — गोकल सिंह — प्रताप सिंह

गोकल सिंह ↓

श्रीमती नन्दु (पत्नि फौत) — अर्जुन सिंह (पुत्र) — राम सिंह (पुत्र फोत) — प्रेम सिंह उर्फ किशनसिंह

राम सिंह ↓

भगवान सिंह (पुत्र)

Scanned with OKEN Scanner

यह कि मोट सिंह के 3 पुत्र सार्दुल सिंह , गोकल सिंह एवं प्रताप सिंह हुए तथा उनके फोत ने के बाद उनके हिस्से की जमीन 1/3, 1/3 तीनो के हक व हिस्से में आयी। गोकल सिंह के ोत होने पर ना.क न. 112 के तहत उक्त भूमि उनके तीनो पुत्र अर्जुनसिंह , रामसिंह एवं किशन ंह उर्फ प्रेमसिंह एवं उनकी पत्नि श्रीमती नन्दु के नाम बराबर हक व हिस्से में आनी चाहिए थी किन गोकल सिंह का पुत्र रामसिंह अपनु नाबालिग पुत्र भगवानसिंह को छोड़ फौत हो चुका था इस त का नाजायज लाभ प्राप्त करने अथवा भूल या जानबूझ कर वादी का नाम नहीं जोड़ा जबकि वह वारीस है आज तक अपने हक व हिस्से पर काबिज हो काश्त करता कराता आ रहा है। यह कि ीमति नन्दु फौत हो चुकी है तथा उसके वादी एवं प्रतिवादी वारिस हो बराबर के हक व हिस्सेदार है ारिस काबिज है वादी को जानकारी किसान केडिट कार्ड बनाने हेतु 3 मार्च 2025 को गया तो ानकारी होने पर नकले प्राप्त कर वादपत्र पेश करने की आवश्यकता हुई। श्रीमति नन्दु का वर्तमान मबंदी में गोकल सिंह की भूमि का 1/3 हिस्सा खाते दर्ज है व 1/3 हिस्सा अर्जुनसिंह एवं 1/3 हस्सा किशनसिंह उर्फ प्रेमसिंह के खाते दर्ज है एवं वादी का 1/3 हिस्सा भूल से अथवा जानबूझ र रह गया है सो सभी का 1/3, 1/3 हक व हिस्सा रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वाद ादी डिक्री करा गोकल सिंह के हिस्से की भूमि का 1/3 हिस्सा वादी के नाम घोषित फरमा श्रीमति न्दु का नाम डिलीट फरमाया जाकर दाद अनुसार रेकॉर्ड में अंकन कराया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से ईकबाल जवाबदावा एवं आपसी राजीनामा पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रस्तुत आपसी राजीनामे अनुसार बताया गया कि –

01 हम पक्षकारान के बीच राजीनामा हो गया है तथा वादी हमारे सगे भाई का एकमात्र वारिस है हमारे पिता/दादा के फोत होने से पूर्व हमारा भाई राम सिंह फोत हो गए थे इसका वारिस एकमात्र वादी है पिता के फोती दाखिल खारिज में हम दोनो भाई प्रतिवादीगण के ही नाम खोला गया, वादी के पिता का नाम भूलवश रह गया अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर वादी का नाम हमारे साथ बतौर खातेदार जोड़ा जावें।

ईकबाल जवाबदावा अनुसार –

01 वादी भगवान सिंह पुत्र राम सिंह हम प्रतिवादी के सगे भाई का लड़का है एवं हमारे पिता गोकल सिंह की मृत्यु के बाद हम तीनो भाई अर्जुनसिंह, रामसिंह एवं किशन सिंह उर्फ प्रेमसिंह एवं हमारी माता नन्दु के बराबर हक व हिस्से की भूमि आई जो 1/4 व 1/4 प्रत्येक के हिस्से में आई तथा हमारी माता नन्दू के फौत हो जाने से हम तीनों भाईयों में 1/3, 1/3 हिस्सा आई।

02 यह कि हमारा भाई रामसिंह वादी के बचपन में ही हमारे पिता के पहले ही फौत हो चुका था किन्तु उनका वारिस भगवान सिंह वादी नाबालिग अवस्था में मौजूद था।

03 यह कि हमारे पिता के फौत होने के बाद भूलवश हमारे दोनों भाई व हमारी मां के नाम ही कर दी जबकि वादी हकदार व वारिस है उसी अनुसार मौके पर रामसिंह के हिस्से के बजाय भगवान सिंह काबिज है तथा काश्त करता कराता आ रहा है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि हम प्रतिवादीगणों के रिकॉर्ड में 1/3, 1/3 हिस्सा दर्ज है व 1/3 हिस्सा हमारी मां के नाम दर्ज है जो फौत हो चुकी है उनकी बजाय 1/3 हिस्सा वादी भगवान सिंह के नाम करा माता का नाम हटाया जावे ताकि सभी को बराबर हक मिले तो हमे स्वीकार है एवं हमें किसी को किसी प्रकार का कोई एतराज नही होगा।

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 द्वारा ईकबाल जबावदावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी आवश्यकता नही रही। साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया गया। उभयपक्षकारान धिवक्ता की बहस सुनी गई। वकील वादी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों दोहराया गया। प्रस्तुत वाद पत्र तथा प्रतिवादी राजीनामे के आधार पर बाबत वारिसान जांच सीलदार भीम की रिपोर्ट तलब की गयी।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामे एवं ईकबाल बाबदावा अनुसार एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं न्यायिक दृष्टांतो के आधार पर वाद दी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि मौजा टोगी तहसील भीम ला राजसमंद की वर्तमान जमाबंदी अनुसार, तहसीलदार भीम की रिपोर्ट अनुसार वादी का निम्न नुसार हिस्से का खातेदार घोषित करने का आदेश प्रदान किया जाता है।

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	वादी का हिस्सा
165	0.0243	बारानी 1	2/84
166	0.0567	बारानी 1	
167	0.0445	बारानी 1	
318	0.0688	चाही 1	
कुल खसरे 4	क्षेत्रफल 0.1943 है0		

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	वादी का हिस्सा
211	0.0506	बारानी	1/20
कुल खसरे 1	क्षेत्रफल 0.0506 है0		

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	वादी का हिस्सा
573	0.0526	पेरा	1/36
कुल खसरे 1	क्षेत्रफल 0.0526 है0		

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	वादी का हिस्सा
208	0.0728	बारानी	1/16
212	0.0283	बंझड़	
306	0.2428	बंझड़	
610	0.1376	बंझड़	
कुल खसरे 4	क्षेत्रफल 0.0526 है0		

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	वादी का हिस्सा
207	0.0364	बंझड़	1/20
277	0.0364	बंझड़	
कुल खसरे 2	क्षेत्रफल 0.0728 है0		

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	वादी का हिस्सा
269	0.2104	चाही 1 जाव 1	1/40
कुल खसरे 1	क्षेत्रफल 0.2104 है0		

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	वादी का हिस्सा
338	0.0400	गै0मु0पाल	1/96

Scanned with OKEN Scanner

339	0.0200	गै0मु0चाह	
345	0.0600	बारानी 2	
347	1.0000	बंझड़	
कुल खसरे 4	क्षेत्रफल 1.1200 है0		

रोक्त अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त स्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद अभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे इसी आशय की डिकी जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब मील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 16|4|26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द